

सं. 11/2/2016-जेसीए  
भारत सरकार  
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  
स्थापना (जेसीए) अनुभाग

\*\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक: 14 मार्च, 2018

कार्यालय जापन

**विषय :** सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए विसंगति समिति गठित करना - परिभाषा के दायरे को बढ़ाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर डीओपीटी के दिनांक 20.02.2017 के समसंख्यक कार्यालय जापन का संदर्भ देने, और विसंगति की परिभाषा में निम्नलिखित और संशोधन को सम्मिलित करने का निदेश हुआ है:

**“जहाँ संशोधित भत्ते की राशि मौजूदा दर से कम हो अथवा संशोधित भत्ते का कार्यान्वयन करते समय अन्य कोई विसंगति पाई गई हो”**

2. कार्यालय जापन में उपर्युक्त पैरा को सम्मिलित करने, विसंगति की परिभाषा निम्नानुसार होगी :-

(1) विसंगति की परिभाषा :-


विसंगति में निम्नलिखित मामले शामिल होंगे:

- क) जहाँ सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष का मत हो कि किसी सिफारिश से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांत अथवा नीति का उल्लंघन हो रहा हो जिसके लिए की कारण न दिया गया हो;
- ख) जहाँ सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 द्वारा यथाअधिसूचित संशोधन पूर्व टांचे के तहत वेतन बैंड में लागू ग्रेड वेतन के अनुरूप वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम स्तर उस राशि से कम हो, जिसका कोई कर्मचारी, उक्त नियमावली में समाविष्ट वेतन निर्धारण के फार्मूले के अनुसार; उस नियत की जाने वाली राशि का हकदार है;
- ग) जहाँ सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष का यह मत हो कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के फलस्वरूप क्षैतिज और उर्ध्वाधर सापेक्षताएं असंतुलित हो गई हैं और जिसके कारण विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है।



घ) जहाँ संशोधित भत्ते की राशि मौजूदा दर से कम हो अथवा संशोधित भत्ते का कार्यान्वयन करते समय अन्य कोई विसंगति पाई गई हो।

3. दिनांक 16.8.2016 के संदर्भ सं. 11/2/2016-जेसीए के तहत डीओपीटी द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन की शेष विषयवस्तु अपरिवर्तनीय रहेगी।

  
(डी. के. सेनगुप्ता)  
उप सचिव (जेसीए)  
दूरभाष :- 23040255

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:

1. सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
2. एनआईसी, डीओपीटी की वेबसाइट पर आदेश को अपलोड करने के लिए।